

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

क्रमांक/एफ-3/397425/0024/16

दिनांक: ई-साइन अनुसार

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- जिला रतलाम अंतर्गत कुआंझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/ IRRIG/150918/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 21.02.2025

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 30.01.2025 एवं कार्यवृत्त दिनांक 13.02.2025 अनुसार चाही गयी बांछित जानकारी का उत्तर निम्नानुसार है:-

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्ती का उत्तर
1	The User Agency shall submit a detailed justification for the proposed work in the forest area. This needs to be clarified as to why the construction of Tank/ reservoir is proposed while downstream side is totally forest area without proposing any distribution network.	इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि विषयांकित बांध के अपस्ट्रीम से 330 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है। जिसमें कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से पानी लिफ्ट कर सिंचाई की जावेगी। परियोजना में आदिवासी जनजाति के भूमिहीन परिवार द्वारा मत्स्य पालन किया जावेगा तथा तालाब निर्माण से भू-जल में वृद्धि होगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by

Hari Shankar Mohanta

Date: 24-03-2025

21:02:35 (एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि-

- मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 - वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मध्य प्रदेश वन विभाग

(Forest Department, Madhya Pradesh)

पत्र क्रमांक ५३७ / वन प्रकरण/ कुआड़ागर/ 2025

रतलाम दिनांक

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य प्रदेश)

गोपाल

मध्य प्रदेश

विषय

जिला रतलाम के अंतर्गत कुआड़ागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टर में स्थित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन समिति, रतलाम को उपयोग में लाने का निर्माण (Online proposal No. FP/MP/IRR/G/150918/2022)

सन्दर्भ

आपका पत्र क्रमांक / एक 3/ 397425/ 0024/ 16 भोपाल, दिनांक 24/02/2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र में लेख है कि भारत सरकार द्वारा कुआड़ागर सिंचाई तालाब योजना के वन प्रकरण में जानकारी चाही गई है जो कि निम्न अनुसार है-

S. No.	Compliance	Action Taken
1	The User Agency shall submit a detailed justification for the proposed work in the forest area. This needs to be clarified as to why the construction of Tank/reservoir is proposed while downstream side is totally forest area without proposing any distribution network.	इस योजना में बाँध के अपस्ट्रीम में 330 हेक्टर सिंचाई प्रस्तावित है। कृपका द्वारा स्वयं के साधन से लिफ्ट कर सिंचाई की जावेगी। परियोजना में आदिवासी जनजाति के भूमिहीन परिवार द्वारा मत्स्य पालन किया जावेगा तथा परियोजना के निर्माण में भू-जल में वृद्धि होगी।

(एन. पी. देव)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन समिति रतलाम

रतलाम दिनांक

पत्र क्रमांक / वन प्रकरण/ कुआड़ागर/ 2025

प्रतिलिपि

- मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनाथ प्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, रतलाम, मध्य प्रदेश की ओर सूचनाथ प्रेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसभाग, रतलाम की ओर सूचनाथ प्रेषित।

(एन. पी. देव)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन समिति रतलाम